



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03112021-230949
CG-DL-E-03112021-230949

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4236]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 3, 2021/कार्तिक 12, 1943

No. 4236]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 3, 2021/KARTIKA 12, 1943

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर, 2021

का.आ. 4597(अ).—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8 की उप-धारा (4) के साथ पठित उप-धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, एतद्द्वारा, श्री शक्तिकांत दास, सेवानिवृत्त आईएएस (टीएन: 80) को 10 दिसम्बर, 2021 से आगे तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, भारतीय रिजर्व बैंक में गवर्नर के पद पर पुनर्नियुक्त करती है।

[फा. सं. 1/3/2013-बीओ-1]

समीर शुक्ला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th October, 2021

S.O. 4597(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) read with sub-section (4) of section 8 of the Reserve Bank of India Act, 1934, the Central Government hereby reappoints Shri Shaktikanta Das, IAS Retd. (TN:80) as the Governor, Reserve Bank of India (RBI), for a period of three years beyond the 10th day of December, 2021, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 1/3/2013-BO-1]

SAMEER SHUKLA, Jt. Secy.